

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

(4)

पीठासीन अधिकारी - श्री दिनेश कुमार गीणा आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या दावा/81/2023

दायर दिनांक 27.07.2023

उन्वान

1. दिनेशचन्द गुप्ता पि. बालचन्द गुप्ता जाति महाजन नि. सुनेल तहसील सुनेल
.....वादी

बनाम

1. कन्हैयालाल पि. भेरूलाल जाति दांगी नि. निपानिया तहसील पिडावा
2. कमलाबाई पुत्री जगन्नाथ पत्नि कन्हैयालाल जाति कुल्मी नि. पिडावा तह.पिडावा
3. कबिताबाई पत्नि रमेशचन्द जाति नायक ब्राहमण नि. हेमडा तहसील सुनेल
4. दिनेश पि. जगन्नाथ जाति कुल्मी नि. हेमडा तहसील सुनेल
5. मृतक - नन्दूबाई पि. जगन्नाथ पत्नि हरीराम जाति कुल्मी नि. हेमडा हाल नि. अमरबडिया म.प्र.
- 5/1 सुरेशचन्द पि. हरीराम जाति कुल्मी नि. अमरबडिया म.प्र.
- 5/2 दिनेशचन्द पि. हरीराम जाति कुल्मी नि. अमरबडिया म.प्र.
6. मथुराबाई पि. जगन्नाथ पत्नि सुरेश जाति कुल्मी नि. हेमडा हाल नि. देवरान म.प्र.
7. राजाराम पि. भेरूलाल जाति दांगी नि. निपानिया तहसील पिडावा
8. रामगोपाल पि. जगन्नाथ जाति कुल्मी नि. हेमडा तहसील सुनेल
9. रामप्रसाद पि. जगन्नाथ जाति कुल्मी नि. हेमडा तहसील सुनेल
10. श्यामलाल पि. जगन्नाथ जाति कुल्मी नि. हेमडा तहसील सुनेल
11. संतोषबाई पत्नि कारूलाल जाति कुल्मी नि. हेमडा तहसील सुनेल
12. शाखा प्रबंधक बडौदा राज.क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा हेमडा
13. शाखा प्रबंधक एसडीएफसी बैंक शाखा झालावाड
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 आर0टी0एक्ट

उपस्थिति :-

अभिभाषक वादीगण :- शहजादी गौरी

अभिभाषक प्रतिवादी सं. 3 व 11 :- श्री नीलकमल त्रिवेदी

निर्णय

दिनांक 24.01.2025

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। यह दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम हेमडा तहसील सुनेल की जमाबन्दी खाता सं. 168 के खसरा नम्बर 851 रकबा 1.3152 हे0 कृषि भूमि के संबंध में इस न्यायालय के आदेश व प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.11.

4

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड (राज0)



2024 से वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी के मध्य जमाबंदी में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर खाता विभाजन किये जाने और राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने के तहसीलदार सुनेल को आदेश दिये गये उक्त निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.11.2024 की पालना में तहसीलदार सुनेल द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2024/1200 दिनांक 02.12.2024 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया, जिस पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक उभय पक्षकारान ने सहमति के आधार पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अतः इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.11.2024 की पालना में प्राप्त व स्वीकार विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार ग्राम हेमडा तहसील सुनेल की जमाबन्दी खाता सं. 168 के खसरा नम्बर 851 रकबा 1.3152 हे० कृषि भूमि का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य जमाबंदी में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है :-

क्र. सं.	ग्राम	खातेदार का नाम	ख०नं०	रकबा है०	किस्म
1	हेमडा खाता संख्या 168	दिनेशचन्द गुप्ता पि. बालचन्द गुप्ता जाति महाजन नि. सुनेल	851	0.2782	माल अलीफ
2	हेमडा खाता संख्या 168	1. कन्हैयालाल पि. भेरूलाल जाति दांगी नि. निपानिया तहसील पिडावा 2. कविताबाई पत्नि रमेशचन्द जाति नायक ब्राहमण नि. हेमडा तहसील सुनेल रहन BRKGB हेमडा 3. राजाराम पि. भेरूलाल जाति दांगी नि. निपानिया तहसील पिडावा 4. रामप्रसाद पि. जगन्नाथ जाति कुल्मी नि. हेमडा तहसील सुनेल रहन BOB सुनेल 5. संतोषबाई पत्नि कारूलाल जाति कुल्मी नि. हेमडा तहसील सुनेल रहन HDFC झालावाड	851/1	1.0370	माल अलीफ

तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(दिनेश कुमार मीणा, उपखण्ड अधिकारी पिडावा)
 दिनेश कुमार मीणा, उपखण्ड अधिकारी पिडावा
 पिडावा, राजस्थान झालावाड (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज०)

पीठासीन अधिकारी - श्री दिनेश कुमार मीणा आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या दावा / 81 / 2023

दायर दिनांक 27.07.2023

उनवान

1. दिनेशचन्द गुप्ता पि. बालचन्द गुप्ता जाति महाजन नि. सुनेल तहसील सुनेल

.....वादी

वनाम

1. कन्हैयालाल पि. भेरूलाल जाति दांगी नि. निपानिया तहसील पिडावा
2. कमलाबाई पुत्री जगन्नाथ पत्नि कन्हैयालाल जाति कुल्मी नि. पिडावा तह.पिडावा
3. कविताबाई पत्नि रमेशचन्द जाति नायक ब्राहमण नि. हेमडा तहसील सुनेल
4. दिनेश पि. जगन्नाथ जाति कुल्मी नि. हेमडा तहसील सुनेल
5. मृतक - नन्दूबाई पि. जगन्नाथ पत्नि हरीराम जाति कुल्मी नि. हेमडा हाल नि.
अमरवडिया म.प्र.
- 5/1 सुरेशचन्द पि. हरीराम जाति कुल्मी नि. अमरवडिया म.प्र.
- 5/2 दिनेशचन्द पि. हरीराम जाति कुल्मी नि. अमरवडिया म.प्र.
6. मथुराबाई पि. जगन्नाथ पत्नि सुरेश जाति कुल्मी नि. हेमडा हाल नि. देवरान म.प्र.
7. राजाराम पि. भेरूलाल जाति दांगी नि. निपानिया तहसील पिडावा
8. रामगोपाल पि. जगन्नाथ जाति कुल्मी नि. हेमडा तहसील सुनेल
9. रामप्रसाद पि. जगन्नाथ जाति कुल्मी नि. हेमडा तहसील सुनेल
10. श्यामलाल पि. जगन्नाथ जाति कुल्मी नि. हेमडा तहसील सुनेल
11. संतोषबाई पत्नि कारूलाल जाति कुल्मी नि. हेमडा तहसील सुनेल
12. शाखा प्रबंधक बडौदा राज.क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा हेमडा
13. शाखा प्रबंधक एसडीएफसी बैंक शाखा झालावाड
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

.....प्रतिवादीगण


वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 आर०टी०एक्ट

उपस्थिति :-

अभिभाषक वादीगण :- शहजादी गौरी

अभिभाषक प्रतिवादी सं. 3 व 11 :- श्री नीलकमल त्रिवेदी

मिनजानित मुदई रूयरू.....X.....मिनजाबिन मुदालयह हुकम व डिक््री दी जाती है कि इस न्यायालय के निर्णय व डिक््री दिनांक 11.11.2024 की पालना में प्राप्त व स्वीकार विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार ग्राम हेमडा तहसील सुनेल की जमावन्दी खाता सं. 168 के खसरा नम्बर 851 रकवा 1.3152 हे० कृषि भूमि का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य जमावन्दी में दर्ज हिस्से व


उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड (राज०)



मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है :-

क्र. स.	ग्राम	खातेदार का नाम	ख0न0	रकबा है0	किस्म
1	हेमडा खाता संख्या 168	दिनेशचन्द गुप्ता पि. बालचन्द गुप्ता जाति महाजन नि. सुनेल	851	0.2782	माल अलीफ
2	हेमडा खाता संख्या 168	1. कन्हैयालाल पि. भेरूलाल जाति दांगी नि. निपानिया तहसील पिडावा 2. कवितावाई पत्नि रमेशचन्द जाति नायक ब्राहमण नि. हेमडा तहसील सुनेल रहन BRKGB हेमडा 3. राजाराम पि. भेरूलाल जाति दांगी नि. निपानिया तहसील पिडावा 4. रामप्रसाद पि. जगन्नाथ जाति कुल्मी नि. हेमडा तहसील सुनेल रहन BOB सुनेल 5. संतोपवाई पत्नि कारूलाल जाति कुल्मी नि. हेमडा तहसील सुनेल रहन HDFC डालावाड	851/1	1.0370	माल अलीफ

तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

[Signature]
(दिनेश कुमार भोष्ठा, अधिकाारी)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
पिडावा, जिला झालावाड राज0 (राज0)

निजX..... मुवालिफX..... बाबत खर्चा इस मुकदमे के सूद बपारह
.....X.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करूंगा।
मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 24.01.2025 को जारी किया गया।

[Signature]
उपखण्ड अधिकाारी
जिला झालावाड राज0
मुदालय पिडावा, जिला झालावाड (राज0)

मुदई		मुदालय पिडावा, जिला झालावाड (राज0)	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिन्धर
स्टाम्प बकालत नाम	फीस कमिन्धर	स्टाम्प अर्जी	बाबत इजराय हुकमनाम
स्टाम्प बजह सबूत	बाबत इजराय हुकमनाम	महन्ताना बकील	मुत0
महन्ताना बकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
पिडावा, जिला झालावाड (राज0)

